नि० 2408-II-16

(64)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

1— कैलाश तनय विश्वनाथ मुड़हा

2— केशव तनय विश्वनाथ मुड़हा

3— बैजनाथ तनय जागेश्वर मुड़हा

4— महेन्द्र सिंह चन्देल तनय श्री बैकुन्ठप्रताप सिंह

सभी निवासी ग्राम शुकुलगंवा , तहसील अमरपाटन, जिला सतना म0प्र0

—————————— निगराकार

बनाम

कल्याण सिंह तनय श्री महेश प्रताप सिंह निवासी ग्राम शुकुलगंवा तह0 अमरपाटन जिला सतना म0प्र0 —————————— गैरनिगरानीकर्ता

श्री दुष्यन्त कुमार सिंह एड
द्वारा आज दि. 22/7/16 को
प्रस्तुत
23.7.16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध राजस्व निरीक्षक मण्डल ताला तह0 अमरपाटन जिलासतना के न्यायालय के प्र0क049/अ—12/15—16 मे पारित आदेश दिनांक 13—7—16 के विरूद्ध।

——————————————————

अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं01959

——————————————————

दुष्यन्त कुमार सिंह
एडवोकेट
म.प्र. उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यू बोर्ड
ग्वालियर-2

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षेप मे तथ्य यह है कि गैर निगराकार के द्वारा आराजी कमांक 118,125 के सीमांकन व नक्सा तरमीम किए जाने का आवेदन पत्र दिनांक 10—6—16 को प्रस्तुत किया गया जहां पर 7 दिवस के अन्दर सीमांकन कर पंचनामा फील्डबुक तैयार किएक जाने का आदेश दिया गया जहां पर सरहदी कास्तकारो को सूचना दिए बिना दिनांक 13—7— 16 को सीमांकन किएक जाने की पुष्टि की गयी । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी निम्नांकित विन्दुओ पर प्रस्तुत की जा रही है ।

1— निगरानी आदेश विधि प्रकिया एवं न्यायिक सिद्धान्त के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नही है ।

2— यह कि म0प्र0 शासन के यह निर्देश है कि सीमांकन 15 जून के पहले कर लिया जाना चाहिए उसके पश्चात किए गए सीमांकन की विधिवत नाप नही की जा सकती है । लेकिन इस निर्देश का पालन किए बिना 13—5—16 को सीमांकन किया गया जो निरस्तगी योग्य है ।

3— यह कि अनावेदक की आराजी नम्बर 118 एवं 125 के दबते रकवे मे निगराकार कमांक 1 व 2 का 0.40 कड़ी व 0.07 कड़ी बताया गयाहै लेकिन सूचना पत्र मे न तो कोई नाम उल्लेख कियागया है और न ही सरहदी कास्तकार के रूप मे नाम ही दर्ज है फिर भी उसकी आराजी नं0 159 मे दबता रकवा फील्डबुक मे दिखाया गया है , जो विधि विरूद्ध है ।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(60)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R-2408-दो/16 जिला - सतना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/8/19	आवेदक की ओर से यह निगरानी .... तहसील ...... के प्रकरण क्रमांक 49/31-12/15-16 में पारित आदेश दिनांक 13-7-16 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर सतना को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 18-10-19 को कलेक्टर सतना के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	